बृजमोहन अग्रवाल
सांसद,
रायपुर लोकसभा क्षेत्र
एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

निवास : बी-5/1, शंकर नगर, रायपुर
फोन नं. : 0771-2331070, 2331011
फैक्स नं.: 0771-4049410
ई-मेल : bm.raipur@sansad.nic.in
bm.raipur@gmail.com

क्रमांक 2850/सांसद रायपुर लोकसभा/ रायपुर, दिनांक 22/02/25

विषय :- "छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम–2006" एवं "छत्तीसगढ़ राज्य कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम–2004" में सख्त प्रावधान कर नए कानून बनाने हेतु।

--00--

आदरणीय मुख्यमंत्री जी,

धर्म हमारी संस्कृति का पालना है, तो गौ सेवा और आराधना उसका अर्ध्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में धर्म परिवर्तन और गौ तस्करी, सनातन मूल्यों के लिए चिंतनीय है। हाल ही में राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर गौ–मांस और तस्करी के मामले उजागर हुए है, साथ ही विदेशी फण्ड से प्रलोभन, छल और भय के आधार पर, धर्म परिवर्तन एक उद्योग की माफिक काम कर रहा है। ईसाई मिशनरीज के द्वारा आदिवासी इलाकों के अलावा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की सह पर छत्तीसगढ़ के गांवों एवं शहरी क्षेत्रों में भी गरीब और असहाय वर्ग के लोगों को लालच और छल के आधार पर मतांतरित करने का प्रसार हुआ है, वहीं **"लव जिहाद"** के आधार पर भी रायपुर सहित अन्य जगहों पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। संविधान, धर्म परिवर्तन के इस गोरख धंधे की इजाजत नहीं देता। संविधान के अनुच्छेद– 251(1) में उल्लेखित प्रावधान किसी व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर धर्म को मानने और आचरण में लाने की इजाजत देता है। लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ताक पर रख कर, धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ कानून बनाकर दण्डित करने का पुरा अधिकार, राज्य सरकार को अनुच्छेद– 25(2) में अंतर्निहित है। संविधान का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता इस तरह वर्णित है :–

1. लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।
2. इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो–
   (क) धार्मिक आचरण से संबंद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बन्धन करती है।

Scanned with OKEN Scanner

बृजमोहन अग्रवाल
सांसद,
रायपुर लोकसभा क्षेत्र
एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

निवास : बी-5/1, शंकर नगर, रायपुर
फोन नं. : 0771-2331070, 2331011
फैक्स नं.: 0771-4049410
ई-मेल : bm.raipur@sansad.nic.in
bm.raipur@gmail.com

क्रमांक 2850 / सांसद रायपुर लोकसभा /

रायपुर, दिनांक 22/02/25

छत्तीसगढ़ में अवैध धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 और संशोधन 2006 लागू है साथ ही छत्तीसगढ़ में गौ हत्या और गौ तस्करी के खिलाफ भी छत्तीसगढ़ राज्य कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम– 2004 के अलावा रणबीर दंड संहिता, 1989 की धारा 298–ए और पशुओं के प्रति कूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 प्रचलित है, लेकिन अवैध धर्म परिवर्तन और गौ तस्करी, गौ मांस व कूरता के लिए छत्तीसगढ़ में कठोर कानून बनाने की अपरिहार्य जरूरत है। इस संबंध में मेरे सुझाव है :–

1. छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधित) अधिनियम, 2006 को अत्यधिक कठोर बनाया जाये, जिसमें शामिल हो – 1) धर्म बदल कर गलत ढंग से एससी/ओबीसी का आरक्षण का लाभ लेने वालों को दंड का प्रावधान हो, सरकारी नौकरियों में इसका बेजा लाभ लेने वालों को दण्डित किया जाये। 2) दूसरे धर्म में जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कम–से–कम 60 दिन पहले एक फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत् जानकारी देने का प्रावधान किया जाये जिसे कलेक्टर के पास जमा करना अनिवार्य बनाया जाये। 3) जिला कलेक्टर, धर्मांतरण के वास्तविक इरादे, कारण और उद्देश्य का आंकलन करें। 4) धर्मांतरण करवाने वाले व्यक्ति को भी एक फॉर्म भरकर जिलाधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य बनाया जाये और 5) बल पूर्वक, अनुचित प्रभाव डालकर, प्रलोभन देकर या किसी कपटपूर्ण तरीके से या फिर विवाह से एक धर्म से दूसरे धर्म में रूपांतरण दण्डनीय हो।
2. छत्तीसगढ़ राज्य कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम– 2004 प्रचलित प्रावधान को कठोर बनाने हेतु सुझाव है – 1) बीफ (गौ–मांस) के परिवहन, बिक्री या रखने और यहां तक कि अपमान और अपराध करने के प्रयास में न्यूनतम एक साल का और अधिकतम दस सालों तक का कठोर कारावास का प्रावधान किया जाये। 2) मवेशियों के अवैद्य परिवहन या बिक्री में सात साल की सख्त सजा और केवल अपराध करने के प्रयास करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया जाये।

धर्म और संस्कृति के संरक्षण हेतु उपरोक्त कानून, राज्य इसी विधानसभा सत्र में पारित हो इसका आग्रह करता हूँ।

(बृजमोहन अग्रवाल)

प्रति,

मान. मुख्यमंत्री जी
छत्तीसगढ़
रायपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner